रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 1993/पौष 2, 1915
No. 446] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 1993/PAUSA 2, 1915

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1993

सा.का.नि. 760(अ).—केन्द्रीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 (1993 का अध्यादेश 30) की धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम 1993 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अध्यक्ष" से राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ख) "सदस्य" से राष्ट्रीय आयोग का, अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त, सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ग) "राष्ट्रीय आयोग" से अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "अध्यादेश" से मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 (1993 का अध्यादेश 30) अभिप्रेत है ;

(ङ) उन अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अध्यादेश में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो अध्यादेश में है।

3. वेतन :—

(क) अध्यक्ष को उतना वेतन संदत्त किया जायेगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के वेतन के बराबर है,

(ख) सदस्य को उतना वेतन संदत्त किया जायेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर है :

परन्तु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत कोई पेंशन (जो अशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न है) प्राप्त कर रहा है या उसने ऐसा करने का पात्र होने पर लेने का चयन किया था तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा की बाबत उसका वेतन :—

(i) उस पेंशन की रकम तक,

(ii) यदि उसने, पद ग्रहण करने से पहले, ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया था तो पेंशन के उस भाग की रकम तक, और

(iii) उसके द्वारा लिये या उपभोग किये जा रहे या लिये या उपभोग किए जाने वाले किसी अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदों तक;
घटा दिया जायेगा।

4. छुट्टी :—(1) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी का हकदार होगा :—

(i) सेवा के प्रत्येक संपूरित कलैण्डर वर्ष या उसके भाग के लिये पन्द्रह दिन की दर से उपार्जित छुट्टी;

(ii) सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष की बाबत बीस दिन की दर से चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर या निजी काम के लिये अर्द्ध वेतन छुट्टी और अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिये छुट्टी वेतन उपार्जित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी वेतन के आधे के समतुल्य होगा,

(iii) अर्द्ध वेतन छुट्टी अध्यक्ष या किसी सदस्य के विवेकानुसार पूर्ण वेतन छुट्टी में परिवर्तित की जा सकती है यदि वह अस्वस्था के आधार पर ली जाती है और किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सीय प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो;

(iv) एक पदावधि में वेतन और भत्तों के बिना अधिकतम एक सौ अस्सी दिन तक की असाधारण छुट्टी।

(2) अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय आयोग में अपनी पदावधि की समाप्ति पर, अपने खाते में बकाया उपार्जित छुट्टी की बाबत छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद इस शर्त के अधीन रहते हुए प्राप्त करने के हकदार होंगे कि यथास्थिति, इस उपनियम के अधीन या पूर्व सेवा से निवृत्ति के समय या दोनों को मिलाकर भुनाई गई अधिकतम छुट्टी किसी भी दशा में 240 दिन से अधिक नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रीय आयोग में अपना पद छोड़ने की तारीख को प्रवृत्त दरों से उपनियम (2) के अधीन छुट्टी वेतन पर तथा अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे :

परन्तु वह ऐसी छुट्टी पर किसी अन्य भत्ते के लिए नगर प्रतिकरात्मक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के आसीन मुख्य न्यायमूर्ति की सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है तो, उपनियम (1), उपनियम (2) या उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 के अध्याय 2 या उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 के अध्याय 2 के उपबंध उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक उसे लागू होंगे और उसके पश्चात् वह इस नियम के उपनियम (1) से उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार छुट्टी का हकदार होगा।

(5) छुट्टी यात्रा रियायत :—अध्यक्ष और सदस्य उन्हीं दरों से और उसी मापमान पर और उन्हीं शर्तों पर, जो भारत सरकार के सचिव को लागू है, छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे :

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के आसीन मुख्य न्यायमूर्ति की सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है तो, इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को लागू नियम या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को लागू नियम उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक लागू होंगे और उसके पश्चात् इस नियम के उपबंध लागू होंगे।

6. छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:—अध्यक्ष या किसी सदस्य को छुट्टी मंजूर करने या उससे इंकार करने और उसे मंजूर की गई छुट्टी को प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।

7. यात्रा भत्ते:—अध्यक्ष और सदस्य, दौरे के दौरान (जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय आयोग में कार्यभार ग्रहण करने या राष्ट्रीय आयोग से उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्व-नगर जाने के लिए की गयी यात्रा भी है) :—

(क) यात्रा भत्तों, वैयक्तिक चीज बस्त के परिवहन और ऐसी ही अन्य बातों के लिए भत्तों के उन्हीं मापमान पर और उन्हीं दरों से हकदार होंगे जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है।

(ख) दैनिक भत्ते के उन्हीं दरों से हकदार होंगे जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा-भत्ते) नियम, 1959 के अधीन किसी न्यायाधीश को अनुज्ञेय है :

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के आसीन मुख्य न्यायमूर्ति को सदस्य के रूप में नियुक्त की जाती है तो, इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को लागू नियम या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू नियम उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक लागू होंगे और उसके पश्चात् इस नियम के उपबंध लागू होंगे।

8. अन्य सेवा-शर्तें :—किरायामुक्त वास, प्रवहण सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था से संबंधित सेवा-शर्तें और ऐसी अन्य सेवा-शर्तें, जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम 1958 के अध्याय 4 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तत्समय लागू है, जहां तक हो सके, अध्यक्ष और सदस्य को लागू होंगे।

9. साधारण भविष्य निधि में अभिदाय का अधिकार :—अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) में अभिदाय करने का हकदार होगा।

10. अवशिष्ट उपबंध :—अध्यक्ष और सदस्यों की उन सेवा शर्तों का, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारत सरकार के सचिव को तत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा अवधारण किया जाएगा।

11. नियम शिथिल करने की शक्ति :—केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल करने की शक्ति होगी।

[फा. सं. 13026/202/93/के-3]
मधुकर गुप्ता, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 1993

G.S.R. 760(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 40 of the Protection of Human Rights Ordinance, 1993 (Ord. 30 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the National Human Rights Commission Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other Conditions of Service) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) "Chairperson" means the Chairperson of the National Commission;

(b) "Member" means the Member of the National Commission appointed under sub-section (2) of Section 3 of the Ordinance;

(c) "National Commission" means the National Human Rights Commission constituted under sub-Section (1) of section 3 of the Ordinance;

(d) "Ordinance" means the Protection of Human Rights Ordinance (Ord. 30 of 1993);

(e) all other words and expressions used in these Rules and not defined but defined in the Ordinance shall have meanings respectively assigned to them in the Ordinance.

3. Salaray : There shall be paid to :

(a) the Chairperson, a salary which is equal to the salary of the Chief Justice of India;

(b) a Member, a salary which is equal to the salary of a Judge of the Supreme Court:

Provided that if the Chairperson or a Member at the time of his appointment was in receipt of, or being eligible so to do, had elected to draw, a pension (other than disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of the Union or Government of a State, his salary in respect of service as a Chairperson or as the case may be a Member shall be reduced :

(i) by the amount of that pension;

(ii) if he had, before assuming office, received, in lieu of a portion of pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof by the amount of that portion of the pension; and

(iii) by any other form of retirement benefits, being drawn or availed of or to be drawn or availed of by him.

4. Leave : (1) A person, on appointment as Chairperson or as a Member shall be entitled to leave as follows :

(i) earned leave @ fifteen days for every completed calendar year of service or a part thereof;

(ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs @ twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;

(iii) leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of Chairperson or a Member if it is taken on medical ground and is supported by a medical certificate from the competent medical authority;

(iv) extraordinary leave without pay and allowances upto a maximum of one hundred eighty days in one term of office.

(2) On the expiry of his term of office in the National Commission, the Chairperson and Members shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of earned leave standing to his credit subject to the condition that the maximum of leave encashed under this sub-rule or at the time of retirement from previous service, as the case may be or taken together shall not in any case exceed 240 days.

(3) The Chairperson and the Members shall be entitled to receive dearness allowance as admissible on the leave salary under sub-rule (2) at the rates in force on the date of the relinquishment of their office in the National Commission:

Provided that he shall not be entitled to city compensatory allowance or any other allowance on such leave.

(4) If a sitting Judge of Supreme Court or a sitting Chief Justice of High Court is appointed as a Member, then not withstanding anything contained in sub-rules (1),(2) or (3), the provisions of Chapter II of the Supreme Court Judges (Conditions of Serivce) Act, 1958 or as the case may be, Chapter II of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 shall apply to him up to the date of his superannuation as a sitting Judge of Supreme Court or as the Chief Justice of a High Court and thereafter he shall be entitled to leave in accordance with the provisions of sub-rules (1) to (3) of this rule.

5. Leave Travel Concession :—The Chairperson and the Members shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales, and on the same conditions as are applicable to a Secretary to the Government of India :

Provided that if a sitting Judge of the Supreme Court or a sitting Chief Justice of a High Court is appointed as a Member, then notwithstanding anything contained in this rule, the rules applicable to a Judge of the Supreme Court or rules applicable to a Judge of a High Court as the case may be, shall be applicable till the date of his superannuation and thereafter the provisions of this rule shall apply.

6. Authority competent to grant leave :—The power to grant or refuse leave to the Chairperson or a Member and to revoke or curtail leave granted to him, shall vest in the President.

7. Travel Allowances :—The Chairperson and the Members, while on tour (including the journey undertaken to join the National Commission or on the expiry of his term with the National Commission to proceed to his home town) shall be entitled to:—

(a) travel allowances, allowances for transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are admissible to a Secretary to the Government of India ;

(b) daily allowance at the same rates as are admissible to a Judge under the Supreme Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1959:

Provided that if a sitting Judge of the Supreme Court or a sitting Chief Justice of a High Court is appointed as a Member, then notwithstanding anything contained in this rule, the rules applicable to a Judge of the Supreme Court or rules applicable to a Judge of a High Court as the case may be, shall be applicable till the date of his superannuation and thereafter the provisions of this rules shall apply.

8. Other conditions of Service :—The conditions of service relating to provision of rent free accommodation, conveyance facilities, medical facilities and such other conditions of service as are, for the time being, applicable to a Judge of the Supreme Court under Chapter IV of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 and the rules made thereunder shall so far as may apply to the Chairperson and the Members.

9. Right to Subscribe to General Provident Fund:—Every person holding office as a Chairperson or a Member shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund (Central Service).

10. Residuary provisions:—The conditions of service of the Chairprson and the Members for which no express provision is made in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to Government of India belonging to Indian Administrative Service.

11. Power to relax rules :—The Central Government shall have the power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[File No. 13026/202/93-K.III]
MADHUKAR GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993